BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 08 अप्रैल, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुशील उर्फ सचिन पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम भैसाखुर थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2020 थाना अरनिया क्षेत्र निवासी एक दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 22.03.2020 को थाना अरनिया पर मुअसं-67/20 धारा 376(1) भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 01.06.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 08.04.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुशील उर्फ सचिन को 10 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।